भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5943

उत्तर देने की तारीख 30 मार्च, 2026

सोमवार, 09 चैत्र, 1948 (शक)

महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने हेतु पहलें

5943. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा रावः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उद्यमियों, विशेषकर महिला उद्यमियों को सफल व्यावसायिक उद्यम विकसित करने में सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों और प्रायोगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी योजना के माध्यम से समर्थित लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और आंध्र प्रदेश में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत जारी की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उद्यमियों की सहायता हेतु सरकार द्वारा उक्त राज्य में शुरू किए गए विशिष्ट नीतिगत उपायों और पायलट परियोजना पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का ब्यौरा क्या है और उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ) भारत सरकार ने महिलाओं में उद्यमशीलता की मानसिकता और क्षमताओं का निर्माण करने, महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास को समर्थन और बढ़ावा देने और महिलाओं में उद्यमशीलता विकास के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल की हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपने स्वायत्त संगठनों, जैसे राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से, महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) लागू किए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य उद्यमिता, वित्तीय, प्रबंधकीय और डिजिटल मार्केटिंग कौशल प्रदान करना और प्रशिक्षण के बाद मार्गदर्शन, सहायता, ऋण/वित्त, बाजार संपर्क और इनक्यूबेशन सुविधाओं तक पहुंच के माध्यम से सहायता प्रदान करना है।

उद्यमियों, जिनमें महिला उद्यमी भी शामिल हैं, को सफल व्यावसायिक उद्यम विकसित करने में सहायता देने के लिए एमएसडीई द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों और पायलट परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और उनको सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा, **अनुबंध-II** में दिया गया है।

महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय लक्षित हस्तक्षेपों, क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रमों और बेहतर संस्थागत साझेदारी और समन्वय के माध्यम से उद्यमिता इको सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाना जारी रखे हुए है।

उद्यमिता विकास योजनाओं ने पहुंच और भागीदारी को काफी हद तक बढ़ाया है, फिर भी उद्यमों के रूपांतरण, स्थिरता और विस्तार में चुनौतियां बनी हुई हैं। सरकार ने एकीकरण, ऋण पहुंच, बाजार संपर्क और सहयोग की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिससे एक अधिक समग्र और परिणामोन्मुखी उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बढ़ा जा रहा है, विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को लाभ मिल रहा है।

अनुबंध-I

"महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने हेतु पहलें" के संबंध में दिनांक 30.03.2026 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5943 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश भर में महिला उद्यमियों के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न उद्यमिता विकास पहलों और पायलट परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

1. स्वावलंबिनी: एमएसडीई ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फरवरी 2025 में उत्तर पूर्व राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में स्वावलंबिनी - एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1,200 छात्राओं को उद्यमिता जागरूकता प्रशिक्षण (ईएपी) प्रदान करके और इनमें से 600 छात्राओं को उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रदान करके उनमें उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करना है। निस्बड और आईआईई इस कार्यक्रम के कार्यान्वयनकर्ता हैं।

इसके अलावा, स्वावलंबिनी कार्यक्रम का उद्देश्य नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच की अवार्ड टू रिवार्ड पहल के माध्यम से कार्यक्रम से उभरने वाली सफल महिला उद्यमियों की पहचान करना और पुरस्कृत करना है। यह कार्यक्रम महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास में सहयोग देने के लिए कार्यशालाओं, प्रारंभिक वित्तपोषण और सुनियोजित मार्गदर्शन का लाभ उठाएगा।

25.03.2026 तक, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 559 महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 11 उद्यमों की स्थापना हुई है। पिछले पांच वर्षों में इस योजना के अंतर्गत 0.40 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

2. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन): कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) अपने स्वायत्त संस्थानों, अर्थात् राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) और भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी (आईआईई) के माध्यम से, जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक योजना, प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के कौशल विकास एवं उद्यमिता घटक को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य निजी जनजातीय समूहों का उत्थान करना है।

यह योजना एमएसडीई सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। मंत्रालय के प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) में कौशल और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना है।

यह परियोजना भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (टीआरआईएफईडी) के सहयोग से देश भर के 15 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2026 तक कुल 500 वीडीवीके स्थापित किए जाने हैं। दिनांक 25 मार्च 2026 तक, कुल 489 वीडीवीके कार्यरत हो चुके हैं और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 38,386 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।.इनमें से कुल 32,233 महिला सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश राज्य में 5976 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 5135 महिलाएं हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान इस योजना के तहत 23.47 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

3. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी) और इन्क्यूबेशन केंद्र (आईसी) की स्थापना, विकास और प्रबंधन करना: इस परियोजना के अंतर्गत, आईआईई को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में ईडीसी और इनक्यूबेशन केंद्र आईसी स्थापित करने, विकसित करने और प्रबंधित करने का दायित्व सौंपा गया है। परियोजना की प्रमुख विशेषताओं में उत्तर पूर्व क्षेत्र के 8 राज्यों में 30 शिक्षा विकास केंद्रों ईडीसी और 4 आईसी की स्थापना, विकास और प्रबंधन, 30 लक्षित जिलों से 600 सलाहकारों की पहचान और प्रशिक्षण, 30 लक्षित जिलों से 3600 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण, 4 आईसी में 100 व्यावसायिक विचारों का इनक्यूबेशन, 30 शिक्षा विकास केंद्रों में अभिसरण के माध्यम से 900 व्यावसायिक विचारों का समर्थन और 4 आईसी में शीर्ष 50 इनक्यूबेटियों के लिए सीड फंड शामिल हैं। दिनांक 25.03.2026 तक, सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में 30 शिक्षा विकास केंद्र पूरी तरह से कार्यरत हैं और 677 सलाहकारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ईडीपी के तहत 943 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है और 150 उद्यमियों को इनक्यूबेशन के लिए चुना गया है। प्रशिक्षित 943 सदस्यों में से 329 महिलाएं हैं। 20 करोड़ रुपये की राशि इस परियोजना के अंतर्गत आवंटित की गई है। पिछले पांच वर्षों में इस योजना के तहत 7.83 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

4. संकल्प योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण, इनक्यूबेशन सहायता, मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से उद्यमशीलता के माहौल को सशक्त बनाना: निस्बड ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प) कार्यक्रम के सहयोग से समाज के विभिन्न वंचित वर्गों के उद्यमिता इको सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए एक परियोजना कार्यान्वित की। इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण, इनक्यूबेशन सहायता, मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से महिलाओं सहित विभिन्न लक्षित समूहों में उद्यमिता की भावना का सृजन, पोषण और प्रोत्साहन करना था। दिनांक 25.3.2026 तक 62825 सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से 43799 महिलाएं हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में 500 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 415 महिलाएं हैं। पिछले पांच वर्षों में इस योजना के तहत 49.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

5. सौर उद्यमिता पर उद्यमिता आधारित कौशल विकास कार्यक्रम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के सहयोग से, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सौर उद्यमिता पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छत पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, उद्यमियों को सशक्त बनाना और सौर उद्यमिता के क्षेत्र में उभरते एवं मौजूदा उद्यमियों को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन प्रदान करके स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करना है। दिनांक 25 मार्च 2026 तक, प्रशिक्षित सदस्यों में से 30928 में से 4225 महिलाएं हैं। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश राज्य में 1349 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 220 महिलाएं हैं। पिछले पांच वर्षों में इस योजना के अंतर्गत 27.83 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

6. उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम: उपभोक्ता हित, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सहयोग से एमएसडीई के अंतर्गत निस्बड ने उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। यह परियोजना पीएमकेवीवाई के तहत एक विशेष परियोजना के रूप में चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य एफपीएस मालिकों को खुदरा उद्यमियों द्वारा अपनाई जा रही समकालीन प्रथाओं के अनुरूप अपने व्यवसाय चलाने में सक्षम बनाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता तथा सरकारी सहायता प्रणाली के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करना है। दिनांक 25.03.2026 तक, प्रशिक्षित सदस्यों में से कुल 315 में से 33 महिलाएं हैं। पिछले पांच वर्षों में इस योजना के तहत 0.18 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

7. औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राईव) परियोजना: एमएसडीई की स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट (स्ट्राईव) परियोजना के तहत, निस्बड और आईआईई ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन गतिविधियों के बाद, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के लिए संभावित उद्यमियों का चयन किया गया। संस्थान ने लक्षित समूहों के लिए ईडीपी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है और प्रशिक्षुओं को अपने उद्यम स्थापित करने में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहा है। 25.03.2026 तक, प्रशिक्षित सदस्यों में से 46035 में से 15096 महिलाएं हैं। पिछले पांच वर्षों में इस योजना के तहत 24.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

8. जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से उद्यमशीलता का माहौल: एमएसडीई के अंतर्गत निस्बड ने जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमशीलता का माहौल बनाने के लिए एक परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण, मार्गदर्शन और सहायता के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों में उद्यमशीलता की भावना को विकसित करना, बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। दिनांक 25.03.2026 तक, प्रशिक्षित सदस्यों में से 3969 में से 3563 महिलाएं हैं। पिछले पांच वर्षों में इस योजना के तहत 5.07 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

9. पीएमजेवीएम के तहत प्रधानमंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई): पीएमजेवीएम के अंतर्गत प्रधानमंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई) को असम में संसाधन एजेंसी के रूप में आईआईई द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और असम मैदानी जनजाति विकास निगम के सहयोग से संचालित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य लघु वन उपज (एमएफपी) में मूल्यवर्धन और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करके जनजातीय समुदायों का उत्थान करना है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के आदिवासी लाभार्थियों को वन धन विकास केंद्र समूहों (वीडीवीकेसी) में संगठित करना है, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 300 लाभार्थी शामिल हैं। असम के लिए कुल 471 वीडीवीकेसी स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 358 वर्तमान में कार्यरत हैं। मूल्यवर्धित उत्पादों का विपणन "ट्रिसम" नामक विशेष ब्रांड के तहत किया जाता है, जिसमें वर्तमान में 150 से अधिक उत्पाद उपलब्ध हैं। 25.03.2026 तक, प्रशिक्षित सदस्यों में से 143700 में से 139389 महिलाएं थीं। पिछले पांच वर्षों में इस योजना के तहत 74.25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

अनुबंध-II

"महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने हेतु पहलें" के संबंध में दिनांक 30.03.2026 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5943 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्यमियों, जिनमें महिला उद्यमी भी शामिल हैं, को बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण। पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की गई वित्तीय सहायता का विवरण, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और वर्षवार, निम्नानुसार है:

1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडबल्यूसीडी): संकल्प (सपोर्टिव एक्शन फॉर नरचरिंग एंड नॉलेज -बेस्ड एडवांसमेंट, लास्ट -माइल डेलीवेरी एंड पोटैन्श्यल रेलाइजेशन ऑफ वुमेन) -महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडबल्यू) अम्ब्रेला मिशन शक्ति के अंतर्गत सामर्थ्य उप-योजना का एक घटक है। एचईडबल्यू की स्थापना राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए की गई है। इसका उद्देश्य केंद्र, राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को सुगम बनाना है। इसका लक्ष्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें, महिलाओं के लिए राज्य द्वारा की गई कार्रवाई में मौजूद कमियों को दूर करना और अंतर-मंत्रालयी और अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देना है। यह समन्वय उन प्रक्रियाओं को मजबूत करके किया जाता है जो महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं, साथ ही सरकारी योजनाओं तक पहुंच और उनके उपयोग में सुधार करके सामाजिक परिवर्तन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती हैं।

एचईडबल्यू के तहत दी जाने वाली सहायता का उद्देश्य देश भर में जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों के स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध व्यवस्थाओं से उनका मार्गदर्शन करना, उन्हें जोड़ना और उनका सहयोग करना है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, पिछड़े और आगे के संपर्क, कामगारों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता तक पहुंच को सुगम बनाना शामिल है।

संकल्प: एचईडबल्यू योजना पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की जा रही है और 35 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत है। वर्तमान में, कुल 35 राज्य संकल्प: एचईडबल्यू और 742 जिला संकल्प: एचईडबल्यू योजनाएँ कार्यरत हैं।

'मिशन शक्ति' के अंतर्गत योजनाएँ मांग आधारित होने के कारण, राज्यों/संघ राज्य क्षेतों के लिए धनराशि का आवंटन पहले से निर्धारित नहीं किया जाता है। जैसे ही राज्य/संघ राज्यक्षेत्र एसएनए /एसएनए स्पर्श मानदंडों का अनुपालन करते हैं, योजना के कार्यान्वयन के लिए धनराशि जारी कर दी जाती है।

दिनांक 27.03.2026 तक, योजना की शुरुआत से लेकर अब तक एनएचईडबल्यू के तहत वर्षवार धनराशि जारी करने का विवरण इस प्रकार है:

जारी की गई राशि (करोड़ में)			
वित्त वर्ष 2022-23	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25**	**वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 27.03.2026 तक)**
49.90	72.04	37.36	81.29

2. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मंत्रालय (एमओएचयूए) दिनांक 30 सितंबर, 2024 तक "दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई - एनयूएलएम)" का कार्यान्वयन कर रहा था, जिसका उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और अरक्षितता को कम करना था। इसके लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल वेतनभोगी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए, ताकि युवाओं और महिलाओं सहित गरीब शहरी लोगों के सुदृढ़ जमीनी स्तर के संस्थानों का निर्माण करके उनकी आजीविका में स्थायी रूप से सुधार किया जा सके। यह मिशन दिनांक 30.09.2024 को समाप्त हो गया।

डीएवाई -एनयूएलएम के एसईपी घटक के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या निम्नलिखित है:

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**डीएवाई -एनयूएलएम के तहत व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या**	**डीएवाई -एनयूएलएम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों को वितरित किए गए ऋणों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7	1
2	आंध्र प्रदेश	107097	120451
3	**अरुणाचल प्रदेश**	**76**	**17**
4	असम	6520	8197
5	बिहार	13769	15993
6	चंडीगढ़	410	0
7	छत्तीसगढ	49323	15086
8	गोवा	264	23
9	गुजरात	30324	17878
10	हरियाणा	8008	1254
11	हिमाचल प्रदेश	4022	1748
12	जम्मू और कश्मीर	16383	275
13	झारखंड	12767	7651
14	कर्नाटक	26592	10361
15	केरल	14492	22836
16	लद्दाख	22	0
17	मध्य प्रदेश	92624	25909
18	महाराष्ट्र	62485	82833
19	मणिपुर	136	123
20	मेघालय	137	4
21	मिजोरम	2471	278
22	नागालैंड	382	0
23	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	1213	6
24	ओडिशा	45950	22319
25	पुदुचेरी	612	658

26	पंजाब	12149	270
27	राजस्थान	32943	4873
28	सिक्किम	35	0
29	तमिलनाडु	309247	170473
30	तेलंगाना	15623	43420
31	त्रिपुरा	2034	5314
32	उत्तर प्रदेश	90188	16731
33	उत्तराखंड	9173	851
34	पश्चिम बंगाल	14421	46374
	कुल	**9,81,899**	**6,42,207**

पायलट कार्यक्रम डी-जेएवाई(एस) के एफआई और एफ़ आई एंड ईडी घटक के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या निम्नलिखित है:

क्र. सं.	**राज्यों का नाम**	**पायलट कार्यक्रम डी-जेएवाई(एस) के (एफआई एंड ईडी) घटक के तहत स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण आवेदनों की संख्या**	**पायलट कार्यक्रम डी-जेएवाई(एस) के (एफआई एंड ईडी) घटक के तहत वितरित व्यक्तिगत ऋण आवेदनों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	20	12
2	असम	36	28
3	बिहार	3	2
4	गुजरात	117	77
5	हिमाचल प्रदेश	4	2
6	केरल	23	16
7	मध्य प्रदेश	113	66
8	मिजोरम	0	0
9	ओडिशा	95	51
10	तमिलनाडु	144	94
11	त्रिपुरा	13	10
12	उत्तर प्रदेश	84	48
13	पश्चिम बंगाल	81	47
14	अरुणाचल पी	0	0
15	महाराष्ट्र	0	0
	कुल	**733**	**453**

पिछले पांच वर्षों के दौरान डीएवाई -एनयूएलएम और पायलट कार्यक्रम डी -जेएवाई (एस) के तहत जारी केंद्रीय निधि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	डीएवाई - एनयूएलएम के तहत जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)						पायलट कार्यक्रम यानी डी-जेएवाई(एस) के तहत जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)		
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	जारी की गई कुल धनराशि	2024-25	2025-26	जारी की गई कुल धनराशि
1	आंध्र प्रदेश	58.23	60.50	37.63	0.00		156.36	4.00	4.00	8.00
2	अरुणाचल प्रदेश	9.36	0.00	0.00	7.47		16.83		2.20	2.20
3	असम	21.92	32.91	20.16	16.62		91.61	4.25	2.50	6.75
4	बिहार	30.90	0.00	0.00	10.00		40.90	3.25	2.00	5.25
5	छत्तीसगढ	0.00	14.71	0.00	15.00		29.71		1.50	1.50
6	गोवा	3.90	3.40	0.00	0.00		7.30	0.25	1.00	1.25
7	गुजरात	71.58	49.67	32.66	40.79	6.25	200.95	7.25	5.00	12.25
8	हरियाणा	10.54	14.22	12.82	0.00		37.58		1.00	1.00
9	हिमाचल प्रदेश	10.21	10.20	6.00	0.00	1.00	27.41	2.00	1.50	3.50
10	जम्मू और कश्मीर	3.67	6.25	13.46	0.00		23.38		0.80	0.80
11	झारखंड	16.28	18.37	0.00	12.00		46.65	0.92	2.75	3.67
12	कर्नाटक	32.07	0.00	0.00	26.25		58.32	1.71	4.58	6.29
13	केरल	27.90	35.38	29.23	15.00	5.00	112.51	4.38	5.00	9.38
14	मध्य प्रदेश	55.09	63.36	100.00	10.00		228.45	5.38	5.00	10.38
15	महाराष्ट्र	96.15	64.37	62.33	90.09		312.94		5.00	5.00
16	मणिपुर	2.98	10.08	25.00	5.35		43.41	0.91	2.00	2.91
17	मेघालय	3.79	0.00	1.29	2.80		7.88		2.00	2.00
18	मिजोरम	16.17	14.98	10.00	3.99		45.14	2.00	2.50	4.50
19	नागालैंड	6.96	4.92	1.83	7.38		21.09	0.91	1.00	1.91
20	ओडिशा	20.07	13.43	0.00	8.44		41.94	5.49	4.00	9.49
21	पंजाब	0.00	19.36	68.49	0.00		87.85		3.00	3.00
22	राजस्थान	39.31	40.53	0.00	15.00		94.84		3.00	3.00
23	सिक्किम	1.10	0.00	0.00	1.00		2.10		1.00	1.00
24	तमिलनाडु	110.65	104.67	6.00	85.00		306.32	3.38	5.00	8.38
25	तेलंगाना	38.10	31.69	100.00	25.00		194.79		1.32	1.32
26	त्रिपुरा	13.48	14.17	2.00	10.86		40.51	2.75	2.50	5.25
27	उत्तर प्रदेश	65.34	62.65	0.00	33.98	8.75	170.72	7.25	6.00	13.25
28	उत्तराखंड	6.05	2.00	8.60	0.00	2.50	19.15		2.57	2.57
29	पश्चिम बंगाल	34.30	43.39	0.00	45.42	5.00	128.11	3.50	4.00	7.50
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.28	0.00	0.34		0.62		0.60	0.60
31	चंडीगढ़	1.82	1.86	2.54	3.55	0.50	10.27		1.00	1.00
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.60	0.60
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2.00	2.00
34	पुदुचेरी	4.20	0.00	0.00	5.11		9.31		2.00	2.00
35	लद्दाख	0.00	2.10	0.00	0.00		2.10		0.60	0.60
	कुल	**812.12**	**739.47**	**540.04**	**496.44**	**29.00**	**2617.07**	**59.58**	**90.52**	**150.10**

3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई): लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी और ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को लागू कर रहा है। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में इच्छुक उद्यमियों की सहायता करके मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है।

पीएमईजीपी सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी प्रदान करता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, **महिलाएं**, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, उत्तर पूर्व क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों से संबंधित विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों का स्वयं का योगदान कुल परियोजना लागत का 5% है और सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए यह 10% है।

पिछले 5 वित्त वर्षों यानी वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पूरे देश में पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या और वितरित मार्जिन मनी सब्सिडी का राज्यवार, विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	एमएम सब्सिडी (लाख में)	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	एमएम सब्सिडी (लाख में)	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	एमएम सब्सिडी (लाख में)	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	एमएम सब्सिडी (लाख में)	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	एमएम सब्सिडी (लाख में)
अंडमान निकोबार	155	186.12	162	238.69	121	202.92	135	134.35	61	96.45
आंध्र प्रदेश	1674	6857.3	2477	10088.8	3073	12929.93	5577	17199.84	3249	14,374.08
अरुणाचल प्रदेश	98	232.63	196	788.88	158	701.26	169	1764.81	156	852.94
असम	2939	4948.48	3855	6659.71	2596	5954.2	2417	6406.26	3170	9,109.64
बिहार	2192	7208.74	2477	8169.92	4459	12123.2	68एस37	19175.74	5035	15,045.14
चंडीगढ़	10	16	21	62.08	15	44.53	10	22.19	5	25.49
छत्तीसगढ़	2718	6062.77	3020	6941.44	2543	7492.77	2379	7625.32	1853	6,564.01
दिल्ली	74	147.61	100	315.23	72	471.11	50	334.32	26	174.60
गोवा	58	156.65	87	298.22	66	291.08	68	322.7	39	178.36
गुजरात*	2854	20637.05	4143	28704.84	3071	24182.62	3000	32124.58	1783	20,363.89
हरियाणा	1740	5512.55	1726	6093.33	1559	6319.98	1398	7325.23	788	4,277.56
हिमाचल प्रदेश	1208	3381.1	1274	3550.95	930	3149.58	974	3647.92	796	2,932.02
जम्मू और कश्मीर	8575	18306.28	21648	46713.54	12023	23993.89	15065	28249.88	9863	23,940.66
झारखंड	1522	3847.8	1714	4188.27	1851	4837.65	2101	5123.28	1452	3,605.94
कर्नाटक	4438	12510.51	5877	15843.36	5618	16154.42	4672	15862.49	2839	9,466.83
केरल	2389	5225.88	2789	6859.29	3129	7329.23	3389	7881.81	2260	5,895.60
लद्दाख	281	1168.41	295	1182.31	91	376.09	122	584.66	135	639.68
लक्षद्वीप	3	15.36	7	17.5	2	2.49	0	0	0	-
मध्य प्रदेश	4854	13807.82	8082	20961.46	5957	18129.7	5292	18521.49	2626	9,561.55
महाराष्ट्र**	3104	8844.29	4128	13018.54	3625	13203.32	2766	12204.7	1857	10,501.83
मणिपुर	1556	5899.03	1139	3337.25	545	1462.51	348	810.73	608	1,508.48
मेघालय	359	579.65	699	974.17	306	665.74	280	725.03	1114	3,470.81
मिजोरम	810	1412.46	650	1461.76	412	1353.86	401	1755.33	484	1,590.07
नागालैंड	740	2045.47	1241	2494.89	469	1535.13	517	2917.65	1262	3,602.87
ओडिशा	3171	8748.07	4301	11335.95	3880	10731.75	2975	9354.84	1867	5,342.69
पुदुचेरी	44	116.81	66	144.3	25	65.56	30	97.44	38	111.19
पंजाब	1652	5011.41	1790	6017.86	1564	7250.62	1469	9087.81	970	6,674.32
राजस्थान	2772	8806.83	2599	9025.6	2037	11418.57	1678	12406.43	916	7,248.31
सिक्किम	57	152.28	85	214.27	57	131.46	132	449.19	316	1,144.83
तमिलनाडु	5188	13881.57	5972	16445.76	6140	17891.66	6814	19871.81	3949	12,115.12
तेलंगाना	2025	6376.33	2906	9846.14	2540	10225.11	2503	10811.78	1850	8,282.18
त्रिपुरा	842	1829.57	958	2083.7	703	1689.01	588	1444.21	730	1,861.41
उत्तर प्रदेश	9994	32985.38	12594	41165.07	11601	37865.82	11689	43528.99	5518	21,908.66
उत्तराखंड	2249	4536.62	1836	3983.2	1803	4631.73	1354	4191.69	734	2,411.98
पश्चिम बंगाल	2070	7425.32	2305	8539.63	2126	7408.96	1919	7423.17	1359	5,320.85
कुल	**74415**	**218880.2**	**103219**	**297765.9**	**85167**	**272217.5**	**89118**	**309387.7**	**59708**	**220,200.03**

*** दमन और दीव सहित**

**** दादरा नगर और हवेली सहित**

आंध्र प्रदेश में पिछले 5 वित्त वर्षों (अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की जिलावार, संख्या और वितरित मार्जिन मनी सब्सिडी का विवरण निम्नलिखित है:

ज़िला	वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	एमएम सब्सिडी (लाख में)	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	एमएम सब्सिडी (लाख में)	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	एमएम सब्सिडी (लाख में)	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	एमएम सब्सिडी (लाख में)	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	एमएम सब्सिडी (लाख में)
अल्लूरी सीताराम राजू		-		-	28	26.32	58	79.15	30	87.54
अनकापल्ली		-		-	52	348.21	144	565.34	86	317.88
अनंतपुर	178	474.91	199	690.71	179	637.46	228	658.78	134	556.01
अन्नमय्या		-		-	49	159.05	630	1,056.63	178	487.12
बापतला		-		-	47	162.52	146	399.38	101	321.63
चित्तूर	135	354.48	206	713.85	163	620.38	240	611.62	163	505.33
पूर्वी गोदावरी	301	1,294.38	360	1,707.41	345	1,540.25	309	1,234.06	167	909.03
एलुरु		-		-	110	504.68	147	676.34	94	526.36
गुंटूर	145	634.37	240	1,127.63	206	1,051.51	164	1,008.46	124	799.65
कडापा (वाईएसआर)	69	308.27	119	464.44	153	618.62	168	602.50	144	788.92
काकीनाडा		-		-	74	397.63	136	587.31	109	587.59
कोनासीमा		-		-	81	456.80	156	633.44	106	549.55
कृष्ण	97	492.48	194	800.13	131	559.60	149	695.58	108	500.04
कुरनूल	80	242.77	149	509.53	152	457.87	162	450.04	78	333.79
ननाड्याल		-		-	23	68.15	107	259.45	93	360.40
नेल्लोर	95	289.80	147	531.48	234	971.54	153	698.84	171	919.80
एनटीआर		-		-	32	111.16	133	376.48	92	429.87
पलनाडू		-		-	48	236.33	106	636.59	109	553.30
पार्वतीपुरम मन्याम		-		-	21	74.72	67	187.74	63	221.59
प्रकाशम	157	640.69	197	742.11	165	632.70	212	719.91	297	1,022.71
श्री सत्य साई		-		-	77	574.36	215	997.31	84	570.52
श्रीकाकुलम	86	376.95	157	723.95	157	745.99	267	1,131.19	134	874.76
तिरुपति		-		-	46	189.01	503	873.49	183	610.17
विशाखापत्तनम	77	367.64	127	545.10	98	451.72	93	431.28	56	224.61
विजयनगरम	78	379.66	141	534.52	169	445.92	687	904.47	204	635.40
पश्चिम गोदावरी	179	1,009.60	241	997.71	233	887.44	197	724.46	141	680.50
कुल	**1677**	**6,865.99**	**2477**	**10,088.56**	**3073**	**12,929.93**	**5577**	**17,199.84**	**3249**	**14,374.08**

4. वित्त मंत्रालय (एमओएफ़): वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफ़एस) ने दिनांक 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू की, जिसके तहत सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआईएस), जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबीएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफ़सीएस) और सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफ़आईएस) द्वारा 20 लाख रुपये तक का बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, जो ऋण लेने के लिए पात्र है और जिसके पास लघु व्यवसाय उद्यम के लिए व्यवसाय योजना है, वह इस योजना के तहत चार ऋण श्रेणियों में कृषि से संबद्ध गतिविधियों सहित विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में आय सृजन गतिविधियों के लिए योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकता है। यह ऋण चार श्रेणियों में उपलब्ध है, जैसे: शिशु (50,000 रुपये तक का ऋण), किशोर (50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक का ऋण), तरुण (5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक का ऋण) और तरुण प्लस (10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक का ऋण उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने दिनांक 24.10.2024 से प्रभावी 'तरुण' श्रेणी के तहत पिछले ऋण लिए हैं और सफलतापूर्वक चुकाए हैं)।

स्टैंड-अप इंडिया योजना दिनांक 05.04.2016 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के ऋण की सुविधा प्रदान करना था, जिसमें प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया था, जिसमें कृषि से संबंधित गतिविधियां भी शामिल थीं। यह योजना मार्च 2025 तक वैध/संचालित थी।

दिनांक 27.02.2026 तक, पीएमएमवाई योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश भर में कुल 57.26 करोड़ ऋण खाते खोले जा चुके हैं। इनमें से 1.16 करोड़ ऋण आंध्र प्रदेश राज्य में दिए गए हैं। इसके अलावा, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत देश भर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 2.75 लाख से अधिक ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से दिनांक 31.03.2025 तक, योजना की शुरुआत से लेकर अब तक आंध्र प्रदेश राज्य में 15391 ऋण दिए जा चुके हैं।

आंध्र प्रदेश में पीएमएमवाई और एसयूपीआई के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और जिलावार विवरण निम्नलिखित है:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) - राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार/जिलावार (दिनांक 08.04.2015 से दिनांक 27.02.2026 तक)				
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**ऋण खातों की संख्या**	**आंध्र प्रदेश**	**ऋण खातों की संख्या**
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	57,120	अल्लूरी सीताराम राजू	5,482
2	आंध्र प्रदेश	1,16,05,149	अनकापल्ली	39,409
3	अरुणाचल प्रदेश	1,89,206	अनंतपुर	7,76,284
4	असम	1,28,18,211	अन्नमय्या	86,318
5	बिहार	6,60,08,206	बापतला	72,894
6	चंडीगढ़	2,08,918	चित्तूर	7,11,129
7	छत्तीसगढ	1,08,78,888	कडप्पा	5,04,003
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	48,045	पूर्वी गोदावरी	10,76,675
9	दिल्ली	37,41,576	एलुरु	1,06,507
10	गोवा	4,11,362	गुंटूर	9,10,047
11	गुजरात	1,73,02,717	काकीनाडा	65,891
12	हरियाणा	1,04,00,537	कोनासीमा	74,989
13	हिमाचल प्रदेश	12,60,635	कृष्ण	8,79,300
14	जम्मू और कश्मीर	25,09,416	कुरनूल	6,98,098
15	झारखंड	1,67,89,561	नांदयाल	1,05,311
16	कर्नाटक	5,31,79,174	नेल्लोर	6,52,469
17	केरल	1,86,88,879	एनटीआर	83,300
18	लद्दाख	72,980	पालनाडू	66,984
19	लक्षद्वीप	14,296	पार्वतीपुरम मन्यम	23,780
20	मध्य प्रदेश	3,44,16,405	प्रकाशम	7,30,565

21	महाराष्ट्र	4,56,08,242	श्री सत्य साई	1,13,141
22	मणिपुर	4,90,946	श्रीकाकुलम	4,72,384
23	मेघालय	3,30,629	तिरुपति	1,48,045
24	मिजोरम	1,89,410	विशाखापत्तनम	8,06,949
25	नागालैंड	1,94,787	विजयनगरम	3,50,150
26	ओडिशा	3,59,80,376	पश्चिम गोदावरी	5,85,625
27	पांडिचेरी	13,07,458	अन्य #	14,59,420
28	पंजाब	1,05,71,732	**कुल**	**1,16,05,149**
29	राजस्थान	2,47,00,742		
30	सिक्किम	1,89,079		
31	तमिलनाडु	6,23,67,898		
32	तेलंगाना	88,32,007		
33	त्रिपुरा	35,10,614		
34	उत्तर प्रदेश	5,75,98,165		
35	उत्तराखंड	36,35,041		
36	पश्चिम बंगाल	5,65,75,894		
	कुल	**57,26,84,301**		

स्टैंड अप इंडिया योजना (एसयूपीआई) - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र /जिलावार (दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2025 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऋण खातों की संख्या	आंध्र प्रदेश जिलावार	ऋण खातों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	399	अनकापल्ली	57
2	आंध्र प्रदेश	15391	अनंतपुरम	917
3	अरुणाचल प्रदेश	1004	अन्नमय्या	30
4	असम	3752	बापतला	62
5	बिहार	9557	चित्तूर	1668
6	चंडीगढ़	691	डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा	50
7	छतीसगढ	5313	पूर्वी गोदावरी	1492
8	दिल्ली	6923	एलुरु	268
9	गोवा	932	गुंटूर	1488
10	गुजरात	19204	काकीनाडा	129
11	हरियाणा	8591	कृष्ण	1596
12	हिमाचल प्रदेश	3478	कुरनूल	944
13	जम्मू और कश्मीर	1786	नांदयाल	48
14	झारखंड	4563	एनटीआर	351
15	कर्नाटक	16845	पलानडु	140
16	केरल	10501	पार्वतीपुरम मन्याम	16

17	लद्दाख	641	प्रकाशम	972
18	लक्षद्वीप	3	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	942
19	मध्य प्रदेश	13732	श्री सत्य साई	25
20	महाराष्ट्र	25655	श्रीकाकुलम	396
21	मणिपुर	537	तिरुपति	89
22	मेघालय	679	विशाखापत्तनम	1448
23	मिजोरम	702	विजयनगरम	360
24	नागालैंड	959	पश्चिम गोदावरी	1047
25	ओडिशा	8385	वाईएसआर	856
26	पुदुचेरी	570	**कुल**	**15,391**
27	पंजाब	9407		
28	राजस्थान	15142		
29	सिक्किम	670		
30	तमिलनाडु	26567		
31	तेलंगाना	14387		
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	175		
33	त्रिपुरा	673		
34	उत्तर प्रदेश	28675		
35	उत्तराखंड	3932		
36	पश्चिम बंगाल	14870		
कुल योग		**2,75,291**		

पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्षवार पीएमएमवाई और एसयूपीआई का विवरण निम्नानुसार है:

पीएमएमवाई - राज्यवार संवितरण विवरण (दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2025 तक)											
(राशि रुपये करोड़ में)											
क्र.सं.	**वित्त वर्ष →**	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**	
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**खातों की संख्या**	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5468	119.32	1901	76.53	3463	124.34	3131	126.13	3027	143.08
2	आंध्र प्रदेश	1152152	11564.66	1117922	11445.42	1348593	16212.30	1588682	19573.04	1464680	20517.18
3	अरुणाचल प्रदेश	6159	172.12	5705	86.51	17193	214.59	26431	346.63	36567	495.72
4	असम	1189829	7399.66	682889	4577.28	599213	6182.19	722225	6847.44	1216262	11191.94
5	बिहार	5306694	24019.78	6678155	30725.07	8489231	45448.59	9631277	56841.09	7771213	54064.10
6	चंडीगढ़	20295	432.22	14926	273.03	17261	293.58	15585	294.80	15724	313.60

7	छतीसगढ	1027266	6423.07	970396	5797.46	1114927	8262.57	1035574	8436.37	1016177	9221.98
8	दादरा और नगर हवेली	3787	51.09	3691	49.34	4469	65.98	3792	67.18	3936	92.80
9	दमन और दीव	1140	19.11	706	18.91	1043	36.23	1194	36.62	2292	93.12
10	दिल्ली	330497	4003.83	194835	2559.59	337476	3759.22	315625	4265.87	199513	4695.01
11	गोवा	37520	501.47	35950	472.87	42745	700.19	42505	756.46	27585	648.22
12	गुजरात	1430956	11313.24	1590960	11990.04	1784437	17507.49	1960464	19640.31	1570182	19919.03
13	हरियाणा	1005453	7303.11	1057963	7574.18	1218808	9944.79	1095972	10719.55	800080	9974.77
14	हिमाचल प्रदेश	130494	2163.83	107556	2027.43	151733	3080.21	146471	3241.99	110348	3076.75
15	झारखंड	1668281	8177.78	1777882	8615.43	2056159	11097.08	2129193	12887.57	1668829	12551.98
16	कर्नाटक	4645196	29785.29	4298481	28374.92	5592066	40746.09	6458940	49510.51	4943477	49319.57
17	केरल	1586258	11238.55	1620168	11549.58	1781474	15079.22	1973469	18015.08	1944890	19661.76
18	लक्षद्वीप	1799	22.94	725	16.47	1623	26.75	2309	39.91	2258	43.87
19	मध्य प्रदेश	3249158	17822.84	3231804	18218.44	3701661	24632.59	3445475	25272.18	3302774	28899.69
20	महाराष्ट्र	3754163	24624.06	4158052	25416.48	5253324	36104.52	5279979	42773.74	4462791	50762.02
21	मणिपुर	69906	406.68	74138	379.20	39744	471.22	10666	213.62	11452	311.29
22	मेघालय	40478	402.43	16892	204.01	24937	331.52	31633	420.03	35308	502.49
23	मिजोरम	12716	211.15	11396	192.30	23394	420.92	28729	576.65	26463	600.41
24	नागालैंड	19787	244.48	15191	209.49	15172	296.78	21014	394.69	32002	519.36
25	ओडिशा	3634998	14919.04	3670907	16557.27	3922511	21505.13	3761546	23355.99	2793890	22532.57
26	पांडिचेरी	108775	606.91	131525	795.30	98394	735.74	133357	1059.69	85730	890.60
27	पंजाब	1094143	7065.11	1109810	7926.06	1259891	10766.37	1039309	10668.37	707516	9856.31
28	राजस्थान	2481296	18223.39	2667998	18728.94	2977440	24492.62	2693556	26755.28	2163626	25794.48
29	सिक्किम	15356	193.09	11059	156.89	13805	219.30	19290	260.61	19185	290.24
30	तमिलनाडु	4947732	28534.56	5625146	32262.94	6406513	43730.39	7204001	57370.41	4536967	46666.26
31	तेलंगाना	636219	6765.03	533545	6010.47	639323	7995.30	947059	10722.07	1137388	13907.44
32	त्रिपुरा	326855	2040.35	357304	2445.73	350659	2349.61	324797	2465.59	348747	2864.61
33	जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश	294501	5401.94	262645	5696.54	330963	7219.71	366142	8119.92	399396	8808.02
34	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	8477	223.75	8176	231.55	9988	285.87	11013	306.97	12197	350.62
35	उत्तर प्रदेश	4738452	27875.13	5787982	32850.80	6808721	47427.26	7679518	58535.05	5924230	58111.79
36	उत्तराखंड	301870	2953.57	333914	2939.91	445328	4303.54	445218	4728.64	338119	4534.21
37	पश्चिम बंगाल	5450920	28529.86	5627231	33949.81	5426916	38353.85	6181872	46712.27	5526827	49575.68
	कुल	**50735046**	**311754.44**	**53795526**	**331402.20**	**62310598**	**450423.65**	**66777013**	**532358.32**	**54661648**	**541802.57**

स्टैंड अप इंडिया योजना - राज्यवार संवितरण विवरण (दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2025 तक)											
(राशि रुपये करोड़ में)											
	वित्त वर्ष	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**	
क्रमांक	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**संवितरण**									
		खातों की संख्या	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	48	7.41	69	8.36	67	5.38	41	3.9	37	5.23
2	आंध्र प्रदेश	541	93.96	1404	226.43	2590	491.54	2831	411.48	1890	314.21
3	अरुणाचल प्रदेश	70	5.56	81	8.67	130	11.77	145	11.64	373	15.18
4	असम	183	26.67	272	42.01	414	45.09	527	43.87	630	135.09
5	बिहार	406	61.36	652	88.09	1483	233.53	1127	137.39	1914	297.99
6	चंडीगढ़	61	14.5	56	9.5	77	10.62	78	9.78	55	14.47
7	छत्तीसगढ	201	36.1	343	54.51	651	107.32	728	105.99	800	126.46
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	3	0.48	11	1.27	23	2.17	18	2	27	6.06
9	दिल्ली	620	118.55	412	60.81	448	84.26	598	68.56	1106	209.15
10	गोवा	30	5.08	29	4.11	123	9.8	180	26.05	139	29.42
11	गुजरात	1224	282.75	1053	206.4	2818	397.36	2917	585.13	3040	773.9
12	हरियाणा	508	89.82	469	61.58	1340	139.04	1080	127.37	1427	283.11
13	हिमाचल प्रदेश	186	24.88	299	38.53	583	51.88	487	33.22	593	91.34
14	जम्मू और कश्मीर	288	19.18	78	9.79	192	25.14	191	21.34	198	27.29
15	झारखंड	231	29.71	356	48.43	524	79.49	599	76.23	741	126.26
16	कर्नाटक	1091	155.43	1537	201.26	3888	508.4	1986	281.06	2109	310.18
17	केरल	355	62.58	454	65.88	2144	225.58	2491	311.27	1849	242.55
18	लद्दाख	5	1.03	92	4.83	190	18.76	134	14.44	134	7.79
19	लक्षद्वीप	0	0	1	0.1	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	485	87.07	1120	228.76	1934	358.15	2898	367.97	2667	409.38
21	महाराष्ट्र	1172	273.84	2491	308.86	4829	618.53	4096	312.71	4721	739.81
22	मणिपुर	35	6.02	48	8.39	93	14.38	32	5.36	107	17.57
23	मेघालय	38	2.89	44	3.2	69	8.19	169	13.54	145	22.13
24	मिजोरम	66	9.42	100	13.33	109	20.21	71	11.52	99	16.79
25	नागालैंड	102	13.89	78	9.62	151	22.56	154	15.91	115	16.17
26	ओडिशा	577	96.4	578	97.04	1166	257.31	904	202.26	1547	343.59
27	पांडिचेरी	37	7.31	34	3.1	62	11.09	65	6.37	109	17.26
28	पंजाब	622	113.73	571	102.77	1535	125.38	1475	200.66	1588	342.12
29	राजस्थान	632	116.53	1097	112.88	2417	219.47	2132	191.52	3557	541.67
30	सिक्किम	44	6.55	88	4.39	98	9.86	75	5.17	97	12.57
31	तमिलनाडु	2009	293.48	2217	296.36	3417	280.98	3007	216.81	4727	710.94
32	तेलंगाना	856	162.35	758	118.66	1135	190.39	2259	274.44	2497	375.61
33	त्रिपुरा	39	4.76	61	8.26	91	10.62	127	10.96	154	33.15
34	उत्तर प्रदेश	1674	227.94	1347	186.82	2835	317.05	4019	342.59	4876	684.3
35	उत्तराखंड	291	54.25	121	22.93	281	52.21	369	52.87	814	164.78
36	पश्चिम बंगाल	886	158.29	1323	152.08	1966	209.93	1566	89.19	2177	351.05
	कुल	**15616**	**2669.79**	**19744**	**2818.04**	**39873**	**5173.44**	**39576**	**4590.54**	**47059**	**7814.55**

5. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग-उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)- स्टार्टअप इंडिया पहल 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुदृढ़ इको सिस्टम का निर्माण करना था।

दिनांक 31 जनवरी 2026 तक कुल 2,12,283 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। दिनांक 31 जनवरी 2026 तक डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यू टी) वार विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	93
आंध्र प्रदेश	4004
अरुणाचल प्रदेश	88
असम	2063
बिहार	4745
चंडीगढ़	670
छतीसगढ	2302
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	90
दिल्ली	20287
गोवा	783
गुजरात	18195
हरियाणा	11004
हिमाचल प्रदेश	782
जम्मू और कश्मीर	1446
झारखंड	1996
कर्नाटक	21601
केरल	8267
लद्दाख	25
लक्षद्वीप	3
मध्य प्रदेश	7071
महाराष्ट्र	36782
मणिपुर	258
मेघालय	91
मिजोरम	64
नागालैंड	115
ओडिशा	3678
पुदुचेरी	225
पंजाब	2368
राजस्थान	7698
सिक्किम	18
तमिलनाडु	14099
तेलंगाना	11743
त्रिपुरा	200
उत्तर प्रदेश	20734
उत्तराखंड	1743
पश्चिम बंगाल	6952
कुल	**212283**

दिनांक 31 जनवरी 2026 तक, स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कुल संस्थाओं में से 1,02,054 संस्थाओं (यानी लगभग 48%) में कम से कम एक महिला निदेशक/साझेदार है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार तीन प्रमुख योजनाओं, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस), और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (सीजीएसएस) को लागू कर रही है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को उनके व्यावसायिक चक्र के विभिन्न चरणों में वित्तपोषण के अवसर प्रदान किए जा सकें और उनका समर्थन किया जा सके।

एफएफएस वेंचर कैपिटल निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई इस योजना का संचालन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (एसआईडीबीआई) द्वारा किया जाता है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है, जो बदले में इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से स्टार्टअप में निवेश करते हैं। पिछले पांच वर्षों, अर्थात् 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 के दौरान, इस योजना के तहत समर्थित एआईएफ द्वारा स्टार्टअप में निवेश किए गए फंडों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार और वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
आंध्र प्रदेश	0.0	0.0	11.3	24.4	0.0
अरुणाचल प्रदेश	0.8	0.0	0.0	0.5	0.0
असम	14.4	9.3	1.5	13.0	0.1
बिहार	18.5	9.5	58.0	0.0	52.4
चंडीगढ़	0.0	0.4	11.0	0.2	9.7
छत्तीसगढ	0.0	0.0	4.2	50.0	12.0
दिल्ली	610.3	998.9	500.0	327.8	808.0
गोवा	0.0	0.0	123.9	0.0	0.0
गुजरात	47.0	299.8	198.2	141.0	94.9
हरियाणा	275.7	502.7	314.5	501.8	148.8
जम्मू और कश्मीर	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
झारखंड	0.0	0.0	0.0	7.2	24.0
कर्नाटक	927.5	1957.9	880.3	1112.9	1340.0
केरल	121.7	7.1	52.5	47.0	121.5
मध्य प्रदेश	61.2	60.3	4.4	0.0	7.3
महाराष्ट्र	952.8	1520.8	710.9	818.6	972.6
मणिपुर	1.3	5.0	0.0	0.0	0.0
मेघालय	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
नागालैंड	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
ओडिशा	2.5	0.0	8.0	3.0	51.5
पुदुचेरी	0.0	0.0	0.8	0.0	5.0
पंजाब	12.3	0.0	0.1	60.5	0.0
राजस्थान	80.8	5.1	92.0	87.4	69.3
तमिलनाडु	161.3	344.4	122.7	300.5	144.8

तेलंगाना	69.5	112.8	169.3	70.6	150.9
त्रिपुरा	0.2	0.1	0.0	0.8	0.0
उत्तर प्रदेश	105.1	124.4	18.8	184.1	245.0
उत्तराखंड	0.0	0.0	0.1	7.2	0.0
पश्चिम बंगाल	28.2	13.8	9.6	0.0	13.8
कुल	**3491.1**	**5973.4**	**3292.1**	**3809.2**	**4271.6**

एसआईएफएस यह योजना इनक्यूबेटर के माध्यम से सीड -चरण के स्टार्टअप्स को अनुदान, परिवर्तनीय डिबेंचर या ऋण या ऋण-संबंधी इन्स्ट्रूमेंट्स के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एसआईएसएफएस दिनांक 1 अप्रैल 2021 से लागू है। पिछले पांच वर्षों (2021, 2022, 2023, 2024 और 2025) के दौरान इस योजना के तहत इनक्यूबेटर द्वारा स्टार्टअप्स को स्वीकृत धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार और वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	0.040	-	-
आंध्र प्रदेश	-	1.430	4.380	3.365	3.030
अरुणाचल प्रदेश	-	0.200	-	-	0.100
असम	0.400	1.670	1.921	1.330	1.309
बिहार	0.100	1.810	4.780	1.530	0.555
चंडीगढ़		0.450	2.200	0.200	0.040
छत्तीसगढ	0.100	0.320	0.860	0.795	0.591
दिल्ली	2.540	5.805	13.135	12.670	7.835
गोवा	0.700	0.850	0.380	0.780	0.570
गुजरात	1.500	7.835	14.911	10.940	6.895
हरियाणा	0.330	4.725	7.535	8.375	7.090
हिमाचल प्रदेश	0.100	0.250	1.890	0.700	0.440
जम्मू और कश्मीर	-	0.100	0.330	1.420	0.800
झारखंड	0.650	0.300	0.550	1.525	0.670
कर्नाटक	6.490	23.320	23.948	20.312	16.360
केरल	0.726	3.780	3.030	2.670	3.600
मध्य प्रदेश	0.500	6.543	4.210	5.978	3.654
महाराष्ट्र	3.950	17.780	37.565	27.870	17.815
मणिपुर	-	0.250	0.050	-	0.000
मेघालय	-	0.200	-	0.040	0.100
मिजोरम	-	-	0.400	0.750	
नगालैंड	-	0.250	1.140	2.580	1.000
ओडिशा	0.100	2.300	4.682	4.369	3.615
पुदुचेरी	-	0.766	0.200	-	-
पंजाब	-	0.220	2.796	4.020	1.450

राजस्थान	0.705	3.685	7.480	6.555	3.415
सिक्किम	-	0.200	-	-	-
तमिलनाडु	3.425	8.291	13.638	19.376	10.510
तेलंगाना	1.350	10.590	11.670	10.950	7.992
उत्तर प्रदेश	3.155	5.453	9.960	12.188	7.710
उत्तराखंड	-	1.250	0.750	1.630	1.150
पश्चिम बंगाल	0.765	1.160	1.550	2.915	1.744
कुल	**27.59**	**111.78**	**175.98**	**165.83**	**110.04**

सीजीएसएस यह योजना पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप्स को ऋण वित्तपोषण सक्षम बनाने के लिए लागू की गई है, जिसमें क्रेडिट इन्स्ट्रूमेंट्स पर निर्दिष्ट सीमा तक की गारंटी दी जाती है। सीजीएसएस का संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा किया जाता है और यह 1 अप्रैल 2023 से लागू है। पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 2023, 2024 और 2025 के दौरान इस योजना के तहत स्टार्टअप उधारकर्ताओं को गारंटीकृत ऋण राशि का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2023**	**2024**	**2025**
आंध्र प्रदेश	0.00	1.50	0.00
असम	0.00	2.52	11.45
बिहार	0.00	0.28	0.00
चंडीगढ़	0.00	0.15	0.00
छत्तीसगढ	0.00	0.00	0.65
दिल्ली	35.65	25.96	3.80
गुजरात	6.50	3.00	30.27
हरियाणा	27.25	58.17	37.27
जम्मू और कश्मीर	0.00	2.00	5.00
कर्नाटक	30.16	37.18	29.18
केरल	4.50	24.50	3.00
मध्य प्रदेश	8.80	1.00	1.00
महाराष्ट्र	59.75	64.99	45.53
ओडिशा	0.00	0.00	4.50
राजस्थान	3.50	15.00	0.00
तमिलनाडु	8.65	62.00	13.95
तेलंगाना	5.60	14.87	2.00
उत्तर प्रदेश	24.42	27.21	13.73
उत्तराखंड	0.00	10.00	0.00
पश्चिम बंगाल	6.00	30.75	5.00
कुल	**220.78**	**381.08**	**206.33**
